



महोबा पुलिस

दिनांक- 21.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 760/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 21.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
 - जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
 - पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
 - साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
- महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





महोबा पुलिस

दिनांक- 21.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 760/26

कानून-व्यवस्था एवं बैंकिंग सुरक्षा के दृष्टिगत

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया बैंक चेकिंग अभियान...

- आज दिनांक 21.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में, रविवार की साप्ताहिक अवकाश के उपरांत सोमवार को बैंक खुलते ही जनपद महोबा में बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया।
- अभियान के दौरान महोबा पुलिस द्वारा बैंकों के अंदर एवं बाहर सदिग्ध व्यक्तियों, बैंक में आने-जाने वाले ग्राहकों तथा वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया गया।
- पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की सदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग की गई, जिसमें सदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही आमजन को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग लेन-देन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। महोबा पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें तथा किसी भी सदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।





महोबा पुलिस

दिनांक- 14.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 761/26

सर्किल कुलपहाड़/थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा अपहृता किशोरी को बरामद कर

वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 20.09.2026 को एक महिला द्वारा अपनी पुत्री के घर से बाजार जाने के बाद वापस न आने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना कुलपहाड़ पर मु0अ0सं0 220/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। उ0नि0 विकास तिवारी द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त सैफ अंसारी पुत्र युनुस अंसारी, उम्र करीब 18 वर्ष, निवासी मोहल्ला नजरबाग, कस्बा व थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा को आज दिनांक 21.09.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर फायर ब्रिगेड कुलपहाड़ से रेलवे स्टेशन कुलपहाड़ जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया गया तथा किशोरी को बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकरण में धारा 87 बीएनएस एवं धारा 18 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय, महोबा के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सैफ पुत्र युनुस अंसारी, उम्र करीब 18 वर्ष, निवासी मोहल्ला नजरबाग, कस्बा व थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा

सम्बन्धित अभियोग-

मु0अ0सं0 220/2026, धारा 137(2)/87 बीएनएस एवं धारा 18 पॉक्सो एक्ट, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विकास तिवारी, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा
2. का0 विक्की चौधरी, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा
3. म0का0 पूर्णिमा, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा





दिनांक- 14.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 762/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर/थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री सन्तोष कुमार सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 आकाश मौर्या मय हमराह का0 आशीष कुमार द्वारा आज दिनांक 21.09.2026 को 01 नफर वारण्टी अभियुक्त राजेश यादव पुत्र मुल्ला यादव, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी ग्राम परसहा, थाना कबरई, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त मु0नं0 900160/2012, अ0सं0 1203/2010, धारा 279/337/427 भादवि, सम्बन्धित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट में वांछित था। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजेश यादव पुत्र मुल्ला यादव, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी ग्राम परसहा, थाना कबरई, जनपद महोबा।

सम्बन्धित अभियोग-

मु0नं0 900160/2012, अ0सं0 1203/2010, धारा 279/337/427 भादवि, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आकाश मौर्या
2. का0 आशीष कुमार





महोबा पुलिस

दिनांक- 21.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 763/26

सर्किल चरखारी/थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतरजनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की 03 मोटरसाइकिल व चांदी के आभूषण बरामद

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री राहुल मिश्र के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा एक शातिर एवं अभ्यस्त चोर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे/निशानदेही से चोरी की 03 मोटरसाइकिल तथा 04 अदद कंगन व एक जोड़ी पांव की बिछिया सफेद धातु बरामद की गई है।

विवरण-

दिनांक 20/21.09.2026 की रात्रि थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा महोबा रोड स्थित मन्दारन देवी मंदिर मोड़ तिराहा पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मन्दारन देवी मंदिर की ओर से मोटरसाइकिल से आ रहे एक संदिग्ध युवक ने पुलिस टीम को देखकर वापस भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अभि उर्फ अवि अहिरवार पुत्र राजू अहिरवार निवासी ग्राम बगरौन, थाना चरखारी, जनपद महोबा, उम्र करीब 20 वर्ष बताया।

अभियुक्त के कब्जे से मौके पर टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल नं0 UP 78 HB 6758 बरामद हुई। वाहन के चेसिस नंबर का मिलान करने एवं वाहन स्वामी से संपर्क करने पर उक्त मोटरसाइकिल के दिनांक 04.06.2026 को कालपी क्षेत्र से चोरी होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके संबंध में थाना कालपी में मु0अ0सं0 124/2026 पंजीकृत होना बताया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ में बताया गया कि वह मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें बेचता है तथा प्राप्त धनराशि अपने शौक पूरे करने में खर्च करता है। उसने उक्त टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल जून 2026 में कालपी, जनपद जालौन से चोरी करना बताया।

अभियुक्त की जामा तलाशी से 04 अदद कंगन सफेद धातु एवं एक जोड़ी पांव की बिछिया सफेद धातु बरामद हुई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा उक्त आभूषण अपने साथियों के साथ महोबा की ऑफिसर कॉलोनी स्थित एक मकान में दिनांक 02/03.08.2026 की रात्रि में की गई चोरी से प्राप्त होना बताया गया।

अभियुक्त ने पूछताछ में दो अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें सुनसान स्थान पर छिपाकर रखने की जानकारी दी। उसकी निशानदेही पर एक अर्धनिर्मित मकान के पीछे झाड़ियों से हीरो HF Deluxe नं0 UP 77 AH 0868 तथा बिना नंबर प्लेट की बजाज प्लेटिना, चेसिस नं0 MD2A18AZ5DWA10035 बरामद की गई। उपलब्ध विवरण के अनुसार HF Deluxe का पंजीकृत वाहन स्वामी जनपद कानपुर देहात तथा बजाज प्लेटिना का पंजीकरण नं0 DL3SCE6263 एवं वाहन स्वामी का पता नई दिल्ली पाया गया। संबंधित वाहनों के संबंध में अग्रिम सत्यापन एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अनावृत अभियोग

अभियुक्त के कब्जे से बरामद सफेद धातु के 04 कंगन एवं एक जोड़ी पांव की बिछिया मु0अ0सं0 384/2026, धारा 331(4), 305(ए), 317(2), 3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा से संबंधित हैं।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना चरखारी पर बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में मु.अ.सं. 206/26 धारा 317(4) बीएनएस के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त

अभि उर्फ अवि अहिरवार पुत्र राजू अहिरवार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बगरौन थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी

1. टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल नं0 UP 78 HB 6758
2. हीरो HF Deluxe मोटरसाइकिल नं0 UP 77 AH 0868
3. बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल, पंजीकरण नं0 DL3SCE6263
4. 04 अदद कंगन सफेद धातु
5. एक जोड़ी पांव की बिछिया सफेद धातु

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 0211/2025, धारा 305(ए), 317(2), 331(4) बीएनएस, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा।
2. मु0अ0सं0 0309/2025, धारा 25/3 आयुध अधि0 एवं 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कुलपहाड़, महोबा।
3. मु0अ0सं0 0069/2026, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा।
4. मु0अ0सं0 0339/2025, धारा 305(ए), 317(2), 331(4) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।
5. मु0अ0सं0 0014/2024, धारा 41, 411 भा0दं0सं0, थाना चरखारी, जनपद महोबा।
6. मु0अ0सं0 0047/2024, धारा 379, 411 भा0दं0सं0, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।
7. मु0अ0सं0 0150/2026, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।
8. मु0अ0सं0 104/2026, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस, थाना हरपालपुर, जनपद छतरपुर, मध्य प्रदेश।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री राहुल मिश्र, थाना चरखारी, जनपद महोबा।
2. उ0नि0 हार्दिक सिंह, थाना चरखारी।
3. मु0आ0 महेन्द्र कुमार गौतमा।
4. आ0 लोकेन्द्र प्रताप सिंह।
5. आ0 शिवांशु द्विवेदी।

अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में संबंधित जनपदों/थानों से समन्वय स्थापित कर उनके अभियोगों का सत्यापन एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

